jkt Hkk"kk iqjLdkj ,oa iksRlkgu ;kstuk,a

केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए एवं हिंदी के प्रचार प्रसार में गति लाने की दृष्टि से गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं चलायी जा रही हैं जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है. इसमें रेल मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों की लागू पुरस्कार योजनाओं का भी संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है.

01- ekfyd iLrd y[ku gsrq bfnjk xk/kh jkt Hkk"kk iqjLdkj &

केन्द्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों, वित्तीय संस्थाओं, बैंको, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाली स्वायत संस्थाओं, विष्वविद्यालयों, शैक्षणिक एवं प्रषिक्षण संस्थानों के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारी को अपने सरकारी कार्य से संबंधित विषयों पर मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गृह मंत्रालय की पुरस्कार योजना लागू है.

इसकी शर्तें इस प्रकार हैः–

- पुस्तक पुरस्कार वर्ष के वित्तीय वर्ष में लिखी/प्रकाषित हो.
- प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग से दो प्रविष्टियां स्वीकार की जाएगी.
- संबंधित मंत्रालय या विभाग सिफारिष सहित प्रविष्टियां भेजें.
- अनूदित पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएंगी.
- पुस्तक किसी शैक्षणिक या प्रषिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो.
- लेखक द्वारा पुस्तक की मौलिकता का प्रमाण दिया जाए.
- पुस्तक की केवल चार प्रविष्टियां निर्धारित प्रोफार्मा के तहत भेजी जाएं.
- विषेषज्ञों की राय से संबंधित प्रोफार्मा में भिजवाई जाए.
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है.

क्र.सं.	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार राषि
01	प्रथम (एक)	रू 40000.00
02	द्वितीय (एक)	रू 30000.00

03	तृतीय (एक)	रू 20000.00
04	प्रोत्साहन (एक)	रू 10000.00

02- j;yk l lcf/kr rduhdh fo"k;k ij fgnh e ekfyd iLrd y[ku gr yky cgknj 'kkL=h ijLdkj%&

इस पुरस्कार योजना को प्रारंभ करने का उद्देष्य रेल कर्मियों में रेल संचालन एवं प्रबंधन संबंधित मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है.
इस पुरस्कार से संबंधित मुख्य बातें हैं:–

- लेखन अवधि कैलेण्डर वर्ष (अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक)
- पुस्तक मौलिक एवं लगभग 100 पृष्ठों की हो.
- पुस्तक पुरस्कार वर्ष के 3 वर्षो के भीतर प्रकाषित हो.
- इस योजना में सेवा निवृत रेलकर्मी तथा गैर–रेलवे के लेखक भी हिस्सा ले सकते हैं.
- 4 प्रतियां मुद्रित अथवा टंकित कर रेलवे बोर्ड को भेजी जाए.

पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.सं.	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार राषि
01	प्रथम (एक)	रू 15000.00
02	द्वितीय (एक)	रू 8000.00
03	तृतीय (एक)	रू 5000.00
04	प्रोत्साहन (एक)	रू 2500.00

03- fgnh e dFkk] miU;kl vkj dk0; lxg dh iLrd fy[ku ij udn ijLdkj ¼vFkkr iepn ,o efFkyh'kj.k xIr ijLdkj½

पुस्तक लेखन संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- पुस्तक मौलिक एवं अपुस्कृत हो.
- केवल रेल कर्मी ही इस पुरस्कार के पात्र हैं.

- पुस्तक पुरस्कार वर्ष में 03 वर्ष के भीतर प्रकाषित हो.
- पुरस्कार योजना की अवधि कैलेण्डर वर्ष है.
- दो प्रतियां टंकित या मुद्रित जो भी उचित हो उचित माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेजनी होती है.
- निर्णाय मंडलः निदेषक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड एवं सलाहकार समिति के दो सदस्य

पुरस्कार का स्वरूप निम्नलिखित है–

क्र	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार संबंधी साहित्य एवं पुरस्कार संख्या	पुरस्कार राषि
01	प्रेमचंद पुरस्कार	कथा संग्रह एवं उपन्यास (एक)	15000.00
02	मैथिलीषरण गुप्त	काव्य संग्रह लेखन (एक)	15000.00

04- ljdkjh dkedkt e esy :Ik l fgnh fVIi.kh y[ku d fy, xgeU=ky; dh l'kkf/kr IkjLdkj ;ktuk&

इस पुरस्कार योजना की मुख्य बातें–

- यह योजना प्रति वर्ष के लिए लागू है जिसकी अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च है
- क एवं ख क्षेत्र के कार्यालयों के लिए वर्ष भर में बीस हजार शब्द लेखन सीमा निर्धारित है और ग क्षेत्र के लिए दस हजार लेखन सीमा है.
- यह योजना सभी अधिकारी/कर्मचारी के लिए लागू है जो पूर्णतः या अंषतः अपने काम हाथ से करते हैं.
- सत्यापन किए जा सकने वाले कार्य अर्थात हाथ से लिखी जाने वाली टिप्पणी, आदेष, विषेष कथन, रजिस्टरों एवं डायरियों में प्रविष्टि करना या सूची तैयार करना आदि इसमें शामिल किए जाते हैं.
- निर्धारित प्रोफार्मा में डायरी रखना अपेक्षित है.
- विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों से सत्यापित कर भेजे गए कार्य का मूल्यांकन, मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है.

- मूल्यांकन के लिए निर्धारित 100 अंक होते हैं जिसमें 70 अंक कार्य की मात्रा, 30 अंक कार्य का स्वरूप एवं कार्यषैली भाषा आदि पर दिए जाते हैं.
- तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालय, बंगला, उडिया, सिंधी एवं असमिया भाषा–भाषी के अधिकारी/कर्मचारी को मूल्यांकन के लिए निर्धारित अंकों में 20 अंक कृपांक के जोड दिए जाएंगे.
- विभागवार यूनिट बनाई जाती है जिसमें 10 कर्मचारी होते हैं, एक यूनिट में केवल 10 कर्मचारियों को लिया जाता है.
- 10 कर्मचारियों की एक यूनिट में प्रथम 02, द्वितीय 03 एवं तृतीय 05 पुरस्कार दिए जाते हैं.
- यह पुरस्कार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों एवं बैंकों निगमों, आयोगों एवं समिति के संबद्ध सभी कार्यालयों के लिए लागू होंगे.
- इस योजना में प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राषि का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.

क्र.सं.	मंडल एवं क्षेत्रीय स्तर पर	रेलवे बोर्ड स्तर पर
01	प्रथम रू 800 के दो	प्रथम रू 1000 के दो
02	द्वितीय रू 400 के तीन	द्वितीय रू 400 के तीन
03	तृतीय रू 300 के पांच	तृतीय रू 300 के पांच

- उक्त पुरस्कार राजभाषा सप्ताह अथवा हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्याल/मंडल के उच्च अधिकारी के करकमलों द्वारा वितरीत किए जाते हैं.

05. रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिताः–

- इस प्रतियोगिता के लिए प्रति वर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्र जारी किए जाते हैं.
- तीन माह की रेल सेवा पूर्ण कर चुके अधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं.
- इस प्रतियोगिता के तहत रेल संचालन एवं प्रबंध से संबंधित किसी भी पहलू पर अपने हिसाब से शीर्षक देते हुए निबंध लिख सकते है.
- निबंध के लिए अधिकतम शब्द संख्या 2500 निर्धारित है.

- इस प्रतियोगिता के लिए दो प्रथम पुरस्कार रू 6000.00 एवं दो द्वितीय पुरस्कार रू 4000.00 प्रत्येक (राजपत्रित एवं अराजपत्रित वर्ग के लिए) दिए जाते हैं.
- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष आयोजित रेल सप्ताह समारोह के दौरान वितरित किए जाते हैं.
- अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित राजभाष सप्ताह के अवसर पर उक्त पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं.

06. रेल मंत्री व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजनाः–

- इस योजना के अंतर्गत 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में सर्वोत्तम कार्य करते हैं एवं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विषेष योगदान देते हैं ऐसे प्रत्येक रेल/यूनिट के अधिकारी/कर्मचारी को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित रेल हिंदी सप्ताह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है.
- प्रत्येक मंडल/कारखाना/यूनिट से एक अधिकारी एवं दो कर्मचारियों के नाम उनके द्वारा दिए गए कार्य के ब्यौरे सहित मंडल रेल प्रबंधक अथवा अपर मंडल रेल प्रबंधक या कार्यालय प्रमुख की सिफारिष पर मुख्यालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड भेजे जाते हैं.
- पुरस्कार राषि रू 1500.00

07- jsy ea=h jktHkk"kk 'khYM@jktHkk"kk VªkQh@vkn'kZ eaMy@dk;kZy;@LVs'ku@dkj[kkuk iqjLdkj ,oa lkefgd iqjLdkj ;kstuk-

bl ;kstuk ls lacaf/kr eq[; ckrsa-

- इस योजना के अंतर्गत 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि के दौरान किसी मंडल/कार्यालय, कारखाना, यूनिट एवं स्टेषन आदि द्वारा हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने के उपलक्ष में मूल्यांकन समिति द्वारा

निर्धारित प्रष्नावली के आधाार पर लिए गए निर्णय के तहत दिया जाता है.

- क एवं ख एवं ग क्षेत्र के लिए अलग पुरस्कार योजनाएं हैं जैसे–
- क एवं ख क्षेत्र स्थित रेलों के प्रधान कार्यालयों के लिए
- रेल मंत्री राजभाष शील्ड (प्रथम पुरस्कार के रूप में)
- रेल मंत्री राजभाष ट्रॉफी (द्वितीय पुरस्कार के रूप में)
- आदर्ष मंडल के लिए आचार्य महावीर प्रसार चल वैजंयती
- आदर्ष मंडल/कार्यालय/स्टेषन/कारखाना के लिए रेल मंत्री राजभाष शील्ड एवं साथ में रू 7000.00 नगद भी दिए जाते हैं जिसका वितरण 70 कर्मचारियों को (जिन कर्मचारियों ने हिंदी में सर्वाधिक एवं उल्लेखनीय कार्य किया हो या हिंदी के प्रगामी प्रयोजन के लिए अपना सहयोग देते हों) के बीच रू 100.00 के हिसाब से विररित किये जाते हैं.
- ग क्षेत्रों में रेलों के प्रधान कार्यालयों के लिए भी
- प्रथम पुरस्कार रेल मंत्री राजभाष शील्ड के रू॰ में दी जाती हैं और
- द्वितीय पुरस्कार रेल मंत्री राजभाष ट्रॉफी.
- इसी प्रकार आर्दष मंडल के लिए आचार्य रघुवीर चल वैजंयती.
- आदर्ष मंडल/कार्यालय/स्टेषन/कारखाना के लिए रेल मंत्री राजभाष शील्ड एवं साथ में रू 7000.00 इस राषि का वितरण भी उपरोक्त की भांति किया जाता है.
- उत्पादन यूनिटों के लिए
- प्रथम पुरस्कार रेल मंत्री राजभाष शील्ड
- द्वितीय पुरस्कार रेल मंत्री राजभाष ट्रॉफी
- उत्पादन यूनिटों में हिंदी प्रयोग हेतु दिए जाने वाले उक्त पुरस्कार में क एवं ख क्षेत्र स्थित यूनिटों के लिए मूल्यांकन के समय 10 प्रतिषत ग्रेस अंक और ग क्षेत्र यूनिट के लिए 15 प्रतिषत ग्रेस अंक दिए जाएंगे. जैसे डिजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी क क्षेत्र 10 प्रति. ग्रेस अंक के पात्र हैं और मद्रास पैराम्बूर एवं ग क्षेत्र 15 प्रति. अंक पाने के पात्र हैं.

08. महाप्रबंधक राजभाषा शील्ड एवं ट्रॉफी – यह योजना क्षेत्रीय रेलवे के विभिन्न मंडलों एवं कारखानों के लिए चलाई जाती है. इससे संबंधित मुख्य बातें नीचे बताएं अनुसार है–

- मंडलों एवं कारखानों द्वारा हिंदी प्रगति रिपोर्ट से संबंधित तिमाही रिपोर्ट पर आधारित यह पुरस्कार योजना है.
- वर्ष भर की कुल 4 तिमाहियों के आंकडों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय एक प्रष्नावली भेजकर जानकारी मंगवाता है.
- मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले मंडल एवं कारखाना को यह पुरस्कार दिया जाता है.
- प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमषः राजभाषा शील्ड/ ट्रॉफी मंडल कार्यालय के लिए है.
- प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमषः राजभाषा शील्ड/ ट्रॉफी कारखाना के लिए है.
- ये पुरस्कार मुख्यालय में आयोजित राजभाषा सप्ताह के अवसर पर महाप्रबंधक जी एवं आमंत्रित मुख्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा प्रदान किए जाते हैं.

09- fganh fuca/k@fganh okd@fganh fVIi.k ,oa izk:Ik ys[ku izfr;ksfxrk iqjLdkj

इन सभी प्रतियोगिताओं के अंतर्गत अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं. मंडल मुख्यालय एवं बोर्ड स्तर पर अलग अलग पुरस्कार राषि निर्धारित है. इस पुरस्कार से संबंधित अन्य जानकारी इस प्रकार है.

- हिंदी निबंध एवं वाक् प्रतियोगिता dsoy vU; Hkk"kh deZpkfj;ksa ds fy, आयोजित की जाती है.
- हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में सभी तृतीय वर्ग के कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं.
- दक्षित भारतीय भाषा भाषी कर्मचारियों को उनके द्वारा अर्जित प्रत्येक 05 अंको पर आधा अंक ग्रेस दिया जाता है.

- क्षेत्रीय एवं बोर्ड स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण नीचे दिए अनुसार है.

क्र.सं.	मंडल एवं क्षेत्रीय स्तर पर	रेलवे बोर्ड स्तर पर
01	प्रथम रू 1200 के दो	प्रथम रू 3000 के एक
02	द्वितीय रू 1000 के तीन	द्वितीय रू 2500 के एक
03	तृतीय रू 900 के पांच	तृतीय रू 2000 के एक
04	सांत्वना रू 250 के तीन	सांत्वना रू 1500 के पांच

मंडल स्तर पर बजट के अनुसार प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर कर्मचारियों को प्रत्येक मंडल/कारखना यूनिट की ओर से क्षेत्रीय एवं बोर्ड स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाता है.

10. क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक पुरस्कारः– मुख्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा कैलेण्डर वर्ष के दौरान हिंदी में अधिकाधिक कार्य के आधार पर सामूहिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है. संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:–

प्रथम स्थान प्राप्त विभाग में सबसे ज्यादा काम करने वाले केवल 6 कर्मचारी ही पुरस्कृत किए जाएंगे तथा प्रत्येक कर्मचारी की राषि 1500.00 प्रदान की जाएगी. द्वितीय स्थान प्राप्त विभाग में सबसे ज्यादा काम करने वाले पांच कर्मचारी पुरस्कृत किए जाएंगे तथा पुरस्कार राषि प्रत्येक कर्मचारी रू 1200.00 दी जाएगी. तृतीय स्थान प्राप्त विभाग में सबसे ज्यादा काम करने वाले 05 कर्मचारी पुरस्कृत किए जाएंगे तथा पुरस्कार राषि प्रत्येक कर्मचारी रू 800.00 दी जाएगी.

11. क्षेत्रीय स्तर पर महाप्रबंधक व्यक्तिगत पुरस्कार– मुख्यालय/कारखाना /षेड एवं अन्य स्टेषन यूनिटों में कार्य करने वाले उन अधिकारियों/कर्मचारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो वर्ष भर अपने क्षेत्र में हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग एवं प्रचार प्रसार में विषेष भूमिका निभाते हैं.

- यह पुरस्कार मुख्यालय स्तर पर आयोजित राजभाषा सप्ताह के अवसर पर महाप्रबंधक जी एवं आमंत्रिक मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा दिया जाता है.

12. हिंदी में डिक्टेषन देने वाले अधिकारियों को पुरस्कारः इस योजना के तहत केवल अधिकारी ही पुरस्कृत किए जाएंगे. इसके नियम इस प्रकार हैं.

- जिन कर्मचारियों को आषुलिपिक मिला है वे इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं. अधिकारी द्वारा दिए गए डिक्टेषन की शब्द संख्या का रिकार्ड माहवार या शब्दवार रखा जाए. यह पुरस्कार योजना कैलेण्डर वर्ष के दौरान किए गए कार्य के लिए लागू है.
- मुख्यालय/मंडल एवं कारखाना स्तर पर एक वर्ष में दो पुरस्कार दिए जाएंगे. यह पुरस्कार राषि 1000–1000 रूपये नगद होगी.
- एक पुरस्कार हिंदी भाषी अधिकारी के लिए और एक अन्य भाषा भाषी अधिकारी के लिए
- डिक्टेषन देने की शब्द सीमा हिंदी भाषी अधिकारी के लिए वर्ष में 20000 शब्द और अन्य भाषा भाषी अधिकारी के लिए 10000 शब्द. अन्य भाषा भाषी अधिकारी अर्थात जिनकी मातृभाषा कन्नड, उडिया, मलयालय, बंगला आदि है. उनके डिक्टेषन की शब्द सीमा संख्या 10000 है.
- यह पुरस्कार किसी विषेष अवसर पर अर्थात राजभाषा सप्ताह व हिंदी दिवस पर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जाता है.

13. अन्य पुरस्कार योजनाएंः

01- v’kdkfyd iLrdk/;{k dk ekun;

हिंदी के प्रचार प्रसार में गति लाने एवं हिंदी के प्रति कर्मचारियों में रूचि जागृत करने की दृष्टि से रेलवे के विभिन्न कार्यालयों एवं स्टेषनों में हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन किया जाता है. जिसके देखभाल के लिए उस स्थान विषेष पर कार्यरत किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अंषकालिन रूप से कार्य देखने के लिए निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है और इसके ऐवज में उस कर्मचारी को प्रतिमाह रू 250 का मानदेय प्रदान किया जाता है. यह पीषीट के माध्यम से दिया जाता है.

02- jktHkk"kk dk;kZUo;u lfefr dh lfpo dk ekun; :&

राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मंडल के अलावा क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख कार्यालयों में एवं मुख्य स्टेषनों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सचिव के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की ओर से रू 150 का मानदेय प्रदान किया जाता है. यह मानदेय भी उन्हें पीषीट के माध्यम से दिया जाता है. सचिवों को तिमाहियों बैठकों का आयोजन एवं रेल कार्यालयों में विभिन्न मदों पर हो रहे हिंदी कार्य की समीक्षा कर बैठक में चर्चा करना और बैठक कार्यवृत्त रेवले बोर्ड सहित मुख्यालय एवं मंडल कार्यालय की समय सीमा के भीतर प्रेषित करना होता है.

03- e[; jkt Hkk"kk vf/kdkjh dk ekun;%&

क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा विभाग को प्रषासनिक नियंत्रण हेतु निति विषयक तथा वित्तीय मामलों को देखने के लिए महाप्रबंधक की सिफारिष पर रेलवे बोर्ड द्वारा मुख्य राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है. इसके एवज में प्रत्येक माह विषेष वेतन के रूप में रू 600.00 की राषि प्रदान की जाती है.

04- eMy Lrj ij e[; jkt Hkk"kk vf/kdkjh dk ekun;

मंडल में अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में अपर मंडल रेल प्रबंधक या समान वेतनमान के किसी अधिकारी को मंडल के राजभाषा विभाग की गतिविधियों तथा वित्तीय मामलों एवं निति विषयक मामलों को निपटाने के मुख्यालय द्वारा 01 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है. इसके एवज में प्रत्येक माह विषेष वेतन के रूप में रू 300.00 की राषि प्रदान की जाती है.

05- mi e[; jkt Hkk"kk vf/kdkjh dk ekun;%&

उप मुख्य राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति क्षेत्रीय एवं कारखाना स्तर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा की जाती है. कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 5000 ये अधिक होनी चाहिए. इसके एवज में प्रत्येक माह विषेष वेतन के रूप में रू 200.00 की राषि प्रदान की जाती है.

06- vk'kqfyfidk dk ekun;%

जो अंग्रेजी आषुलिपिक अपने दैनिक कार्य के अलावा प्रतिदिन 05 पत्र/टिप्पणियां अथवा 300 पत्र/प्रारूप प्रति तिमाही हिंदी में करते हैं उन्हें प्रतिमाह रू 120.00 विषेष वेतन दिया जाता है.

07. टाइपिस्टों को मानदेयः–

जो अंग्रेजी टाइपिस्ट अपने दैनिक कार्य के अलावा प्रतिदिन 05 पत्र/टिप्पणियां अथवा 300 पत्र/प्रारूप प्रति तिमाही हिंदी में करते हैं उन्हें प्रतिमाह रू 80.00 विषेष वेतन दिया जाता है.